न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— गुलाब सिंह वर्मा (आरएएस)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 05/2024 निर्णय दिनांक :— 18.1.2024

उनवान

1 श्रीला पुत्र हरपाल निवासी ठिकरिया गुजरान तहसील चाकसू कोटखावदा जिला जयपुर।

——प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् 136

प्रार्थना ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2023 को ग्राम ठीकरिया गुजरान तहसील कोटखावदा की जमावन्दी के खाता संख्या 216 में अंकित नाम श्रीया पुत्र हरपाल के स्थान पर श्रीला पुत्र हरपाल करने हेतु पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र तहसीलदार से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया तो तहसीलदार कोटखावदा ने प्रार्थना पत्र की जॉच कर रिपोर्ट भिजवायी गयी कि ठिकरिया गुजारान के वर्तमान जमावन्दी के खाता संख्या 28, 217, 218, 167 मे श्रीला पुत्र हरपाल गुर्जर दर्ज है, संलग्न दस्तावेज आधार पर आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा सजरा खानदान के दिनांक 05.06. 2003 में श्रीला पुत्र हरपाल गुर्जर अंकित है, जमावन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

2063–66 के खाता संख्या 181 तथा ना.स 408 (विरासत दाखा बेवा हरपाल) में श्रीया पिता हरपाल गुर्जर अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 216 में अपनानाम श्रीया पुत्र हरपाल के स्थान पर श्रीला पुत्र हरपाल दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किये जाने का प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज़ ठीकरिया गुजरान की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 28, 217, 218, 167 व विरासत ना.स 113 में हरपाल की विरासत श्रीला पुत्र हरपाल अंकित है। किन्तु दाखा पत्नि हरपाल की विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय श्रीला के स्थान पर श्रीया दर्ज कर दिया जबकि जमाबन्दी के खाता संख्या 28, 217, 218, 167 में श्रीला पुत्र हरपाल दर्ज है। सजरा खानदान 5.6.03 आधार कार्ड में श्रीला पुत्र हरपाल दर्ज है एवं तहसीलदार कोटखावदा ने भी श्रीया के स्थान पर श्रीला सही नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 28, 217, 218, 167 एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम ठीकरिया गुजरान तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 216 में अंकित नाम श्रीया पुत्र हरपाल के स्थान पर श्रीला पुत्र हरपाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय की पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)